राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 19.03.2020

आदेश

COVID-19 से संक्रमित/संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क में आये व्यक्ति/COVID-19 से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों को भारत सरकार द्वारा जारी एडवायजरी/दिशा–निर्देशों के अनुसार होम क्वारैंटाइन/सरकार द्वारा चिन्हित क्वारैंटाइन/होस्पीटल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि क्वारैंटाइन/आइसोलेशन में रखे गये कुछ व्यक्तियों द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी एडवायजरी/दिशा–निर्देशों की पालना नहीं कर सार्वजनिक स्थलों पर आवागमन/परिजनों/रिश्तेदारों/जन सामान्य से सम्पर्क किया जा रहा है, जिससे COVID-19 का संक्रमण फैलने की प्रबल आशंका है।

अतः क्वारैंटाइन/आइसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि वे भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी एडवायजरी/दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

19/03/20
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
6. समस्त जिला कलक्टर, राज.को प्रेषित कर लेख है कि होम क्वारैंटाइन/सरकार द्वारा चिन्हित क्वारैंटाइन/होस्पीटल आइसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों द्वारा क्वारैंटाइन/होस्पीटल आइसोलेशन की अवधि में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी एडवायजरी/दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें। तथा आवश्यक होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावें।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि होम क्वारैंटाइन/सरकार द्वारा चिन्हित क्वारैंटाइन/होस्पीटल आइसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों द्वारा क्वारैंटाइन/होस्पीटल आइसोलेशन की अवधि में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी एडवायजरी/दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें। तथा आवश्यक होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावें।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
13. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
14. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 19.3.20
शासन उप सचिव